भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पिर्यसन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट ,देहरादून–248006
दूर भाषः 0135&2750809]
ईमेल/Email – moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun – 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/05/166/2016/1320 दिनांकः18.11. 2016

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद–देहरादून में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा झाजरा रेंज, स्वारना नदी से उपखनिज चुगान हेतु 23.75 है0 वन भूमि का वन विकास निगम को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या **528/X-4-16/2(16)/2016** दिनांक– 17.06.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online proposal No. FP/UK/MIN/20542/2016 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 04.10.2016 को हुई बैठक में चर्चा की गई। REC द्वारा वांछित आवश्यक सूचनाओं/दस्तावेजों के प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 17.10.2016 द्वारा अनुमोदनार्थ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया। मंत्रालय के अनुमोन के उपरान्त प्रस्ताव पर मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद–देहरादून में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा झाजरा रेंज, स्वारना नदी से उपखनिज चुगान हेतु 23.75 है0 वन भूमि का वन विकास निगम को प्रत्यावर्तन किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 47.50 है0 सौड़ा ब्लॉक में प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में **Online portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।** जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।

5. निर्माण कार्य के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में परियोजना क्षेत्र मे खाली पड़े स्थानो पर वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित अन्य आवश्यक शर्तो के साथ प्रदान की जायेगी:–**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
5. परियोजना निर्माण मे उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख के किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नही फेंका जाएगा।
6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर नदी के प्रभावित किनारों पर आवश्यक मृदा सरंक्षण कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करेगा।
9. प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का काटन/पातन नही किया जाएगा।
10. The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required, as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986.
11. Extraction of minor minerals shall be restricted to middle half of the width of river bed after leaving intact the one-fourth of width of the river bed along its each bank.
12. To ensure maintenance of river geometry, collection of minor minerals during a working season shall start from centre of the river width and shall gradually extend to the boundary of the permissible area. The maximum permissible depth for collection of minor minerals at centre of the river width shall be limited to 3m and it shall gradually reduce till it reaches boundary of the permissible zone.
13. To regulate and maintain record of the quantity of minor minerals extracted during a season, State Forest Department shall set up adequate number of check posts during the collection season.
14. Extraction of minor mineral shall be restricted from 1st October to 31st May of the subsequent year.'
15. Minor minerals shall be collected manually by using hand tools. Use of explosive and heavy machineries for breaking/collection of minor minerals shall be strictly prohibited.
16. Collection time shall be from sun-rise to sun-set.
17. The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing, and distance from adjoining pillars etc.
18. The conditions stipulated while giving approval under the Forest (Conservation) Act,1980 for diversion of forest land for mining purposes shall be monitored as per Para 4.16 (ii) & (iii) of the guidelines issued under Forest (Conservation) Act, 1980;

19. There will be regular monitoring by the Forest Department for compliance of conditions including the quantity extracted;
20. The operation of mine should be as per the approved mining plan and user agency shall submit annual self compliance report to this office.
21. सम्बधित कार्यवृत्त (Working Circle) हेतु देहरादून वन प्रभाग की कार्ययोजना (Working Plan) में दिये गये Prescriptions का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
22. प्रत्येक वर्ष मानसून की समाप्ति के उपरान्त एवं चुगान कार्य प्रारंभ करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में उपलब्ध Minor Mineral की मात्रा का आंकलन किया जाएगा तथा उस वर्ष आंकलित मात्रा या Mining Plan में दी गई मात्रा जो भी कम हो का ही चुगान किया जाऐगा।
23. Safety Zone Area Treatment Plan will be implemented as per the proposal;
24. The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the Project.

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

o/c

(एम0एस0 नेगी)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवषयक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(एम0एस0 नेगी)
वन संरक्षक

o/c